

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

सांवरा चमार पुत्र मगना चमार निवासी नराणा

बनाम

जीवन सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी तहनाल वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 151/2024

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नंबर व तारीख
अहकाम जो हुक्म की
तामील में जारी हुये

09-04-24

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ | प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया | प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में मैं ग्राम नराणा प.ह. बेरी आराजी सं. 488, 489, 669, 670, 676/1, 667 कुल किता 06 रकबा 1.5864 हेक्टेयर भूमि स्थित है | अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है | अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें | प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है |

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी | पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है | प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है मैं ग्राम नराणा प.ह. बेरी आराजी सं. 488, 489, 669, 670, 676/1, 667 कुल किता 06 रकबा 1.5864 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक बावड़ी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है | कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे | पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें | पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें | तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं | पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें | आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया |

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

र्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

ह/रीडर/2024/151/2024

दिनांक- 09/04/2024

वत्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय— प्र.सं. 151 / 2024 अनवान सांवरा चमार पुत्र मगना चमार निवासी नराणा बनाम जीवन सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी तहनाल, रोंड सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी तहनाल, हरि सिंह पुत्र कालू सिंह निवासी नराणा, लादी पत्नी बलदेव धाकड़ निवासी नराणा, देवी धाकड़ पुत्र बालू धाकड़ निवासी नराणा, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने वावत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम नराणा प.ह. बेरी आराजी 488, 489, 669, 670, 676/1, 667 कुल किता 06 रकबा 1.5864 हेक्टेयर भूमि की तयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक वावडी को नियुक्त किया ता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 10 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित न किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर तयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश रे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा